उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
संख्या-98/2015/7981/62-2-2015-2/4(29)/2015
लखनऊ: दिनांक 09 सितम्बर, 2015

कार्यालय-आदेश

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील सख्या- 2608/2011 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम् राजेश कुमार व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.2012 का आपरेटिव अंश निम्नवत् है:-

> "In the ultimate analysis, we conclude and hold that section-3(7) of 1994 Act and Rule-8A of the 2007 Rules are ultra vires as they run counter the dictum in M. Nagaraj (supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indra Sawhney (supra) and without the aid or assistance of section-3(7) and Rule-8A shall remain undisturbed."

2- मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या- 8/4/1/2002 टीसी-1- का-2/2015, दिनांक 21.08.2015 द्वारा पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक 28 अप्रैल, 2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.1997 के बाद प्रोन्नत कार्मिकों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम- 1994 की धारा- 3(7) के प्राविधान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए दिनांक 15.11.1997 के पश्चात् पदोन्नत कार्मिकों तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) के नियम- 8(क) का लाभ देकर जिन कार्मिकों की पदोन्नति की गयी है, उन्हें पदावनत कर दिया जाय। वर्तमान संशोधित वरिष्ठता सूची, जो कार्मिक अनुभाग- 2 के शासनादेश दिनांक 08.05.2012 एवं 13.05.2012 के क्रम में जारी की गयी है, के अनुसार दिनांक 15.11.1997 के पश्चात् पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम- 8(क) का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों से कनिष्ठ कर्मी, जिस स्तर पर कार्यरत हों, उस स्तर तक उन्हें दावनत किया जाय।

(ख) पदावनत किये जाने पर, आरक्षित श्रेणी के कार्मिक को पदावनत पद का ही वेतनमान अनुमन्य होगा। उक्त वर्णित संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार पदावनत किये गये आरक्षित श्रेणी के कार्मिक से आसन्न वरिष्ठ कर्मी को अनुमन्य मूल वेतन के बराबर पदावनत कर्मी का मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा। पदावनति के ठीक पूर्व के माह में पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परिलब्धियां (मूल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि) में पदावनति के उपरान्त कोई वित्तीय हानि न हो, इसके लिए पदावनत किये गये कार्मिक की पदावनति के उपरान्त निर्धारित मूल वेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियां तथा पदावनति के ठीक पूर्व के माह में प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों में जो अन्तर होगा, वह वैयक्तिक वेतन के रूप में पदावनत कार्मिक को अनुमन्य होगा। वैयक्तिक वेतन आगे के वर्षों में उस सीमा तक कम होता जायेगा, जिस सीमा तक पदावनत कर्मी के मूल वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण मूल वेतन तथा वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य भत्तों सहित आधारित सकल वेतन में वृद्धि हो रही है। पदावनत कर्मी की पदावनति के ठीक पहले के माह में प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियां तब तक फ्रीज रहेंगी, जब तक कि पदावनत कर्मी से आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धियां इसके बराबर या इससे अधिक न हो जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ग) आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिक, पदावनति के पश्चात् पदावनत पद के अनुरूप ही समस्त सुविधाएं प्राप्त करेंगे।

(घ) पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (जिसमें वैयक्तिक वेतन शामिल होगा) के आधार पर वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(च) अनारिक्षत वर्ग (जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी) के पदधारकों द्वारा इस आधार पर अतिरिक्त परिलब्धियों अथवा वैयक्तिक वेतन की मांग नहीं की जायेगी कि वे पदावनत कर्मी से संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठ हैं।

(छ) उपरोक्तानुसार पदावनत किये जाने के परिणाम स्वरूप जो रिक्तियां उपलब्ध होंगी, उन पर उक्त वर्णित संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

3- कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश सं0-8/4/।/2002टीसी-1-का-2/2015, दिनांक 21.08.2015 के अनुपालन में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-3650/स्था0-1(60)/सामा0-पत्रा0/2015, दिनांक 27.08.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरांत मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर दिनांक 28.04.2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.1997 के बाद प्रोन्नत श्री श्याम प्यारे राम, श्री प्रेम नारायण व श्री संजय कुमार, सहायक अभियंता को तात्कालिक प्रभाव से अवर अभियंता के पद पर पदावनत किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकति प्रदान करते हैं।

4- पदावनति के फलस्वरूप श्री श्याम प्यारे राम, श्री प्रेम नारायण व श्री संजय कुमार, सहायक अभियंता को पदावनत पद का ही वेतनमान अनुमन्य होगा तथा वरिष्ठता सूची के अनुसार उनसे आसन्न वरिष्ठ कर्मी सर्वश्री धनश्याम सिंह, बृजेश कुमार सिंह व प्रमोद कुमार मिश्र, अवर अभियंता को अनुमन्य मूल वेतन के बराबर मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा। पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परिलब्धियां (मूल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि) में पदावनति के उपरान्त कोई वित्तीय हानि न हो, इसके लिए पदावनत किये गये कार्मिक की पदावनति के उपरान्त निर्धारित मूल वेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियां तथा पदावनति के ठीक पूर्व के माह में प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों में जो अन्तर होगा, वह वैयक्तिक वेतन के रूप में पदावनत कार्मिक को अनुमन्य होगा। वैयक्तिक वेतन आगे के वर्षों में उस सीमा तक कम होता जायेगा, जिस सीमा तक पदावनत कर्मी के मूल वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण मूल वेतन तथा अन्य भत्तों सहित सकल वेतन में वद्धि हो रही हो। पदावनत कर्मी की पदावनति के ठीक पहले के माह में प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियां तब तक फ्रीज रहेंगी, जब तक कि पदावनत कर्मी से आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धियां इसके बराबर या इससे अधिक न हो जायें।

5- उक्त वर्णित कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 21-8'2015 के अनुक्रम में पदावनत कर्मियों को पदावनत पद पर कोइ्र अतिरिक्त कार्यभार नही दिया जायेगा।

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

सं0-98/2015/7981(1)/62-2-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।

4- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को राजकीय गजट के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

6- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

7- संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।